

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-12/2026 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

दक्ष चौधरी पुत्र जय सिंह जाति जाट निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री रायसिंह दईया वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 19.1.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री रायसिंह दईया वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि चक 26 आरडब्ल्यूडी के खाता सं. 274/184 के प.नं. 229/432(47) कि.नं. 11/2, 12 ता 14, 15/1, 16 ता 19, 20/2, 25 की 2.606 है. कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम दक्ष पुत्र जयसिंह के स्थान पर दक्ष चौधरी पुत्र जय सिंह दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.1.2026 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

